प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 09 जून,2026

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरवीर सिंह पुत्र श्री चौहल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 01-09-2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी हरवीर सिंह पुत्र श्री चौहल सिंह, जो बधाई खुर्द, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 11-07-2011 को पीजो गाड़ी में ट्रक से टक्कर मारकर 04 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-1164/2011, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-2, मुजफ्फरनगर के दण्डादेश दिनांक 04.07.2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.05.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 06 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 07.05.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष 06 माह, 26 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध (04 लोगों की हत्या), बन्दी दिनांक 07.05.2024 से जमानत मुचलके पर रिहा होने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरवीर सिंह (बन्दी संख्या-372/2023) पुत्र श्री चौहल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-704/2026/2037(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।